न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 24 / 2024

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. भोमाराम पुत्र गंगाराम
2. भूराराम पुत्र वगताराम जातियान जाट निवासी हुकमोणी सांई नगर, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. धुड़ाराम पुत्र भेराराम
2. भगवानाराम पुत्र भेराराम
3. अणदाराम पुत्र कुम्भाराम
4. रामाराम पुत्र कुम्भाराम
5. धनाराम पुत्र पदमाराम
6. मांगाराम पुत्र पदमाराम जातियान जाट निवासी हुकमोणी सांई नगर, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 एकतरफा एवं विप्रार्थी सं. 7 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 11.06.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 16 / 1 रकबा 4.0126 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 134 / 16 रकबा 4.0207 हैक्टयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 133 / 16 रकबा 6.8118 हैक्टेयर ग्राम हुकमोणी सांई नगर तथा विप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के खसरा संख्या 132 / 16 रकबा 25.9365 हैक्टेयर ग्राम त्रिशूलिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। जो कि मूल खसरा संख्या 16 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित संख्या संख्या 16 / 1, 134 / 16 की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्राथीगण का कब्जा काश्त जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 से 6 बावजूद सम्मन तामिल होने एवं सुनवाई हेतु उपस्थिति बाबत् पर्यापत अवसर दिए जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। विप्रार्थीगण सं. 7 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 16/1 रकबा 4.0126 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 134/16 रकबा 4.0207 हैक्टयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 133/16 रकबा 6.8118 हैक्टेयर ग्राम हुकमोणी सांई नगर तथा विप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के खसरा संख्या 132/16 रकबा 25.9365 हैक्टेयर ग्राम त्रिशूलिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 16 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित संख्या संख्या 16/1, 134/16 की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे ंकर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.06.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 16/1 रकबा 4.0126 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 134/16 रकबा 4.0207 हैक्टयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 133/16 रकबा 6.8118 हैक्टेयर ग्राम हुकमोणी सांई नगर तथा विप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के खसरा संख्या 132/16 रकबा 25.9365 हैक्टेयर ग्राम त्रिशूलिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 16 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित संख्या संख्या 16/1, 134/16 की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे ंकर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रहवासी ढाणी, टांके आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.06.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीग का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 16/1 रकबा 4.0126 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 134/16 रकबा 4.0207 हैक्टयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 133/16 रकबा 6.8118 हैक्टेयर ग्राम हुकमोणी सांई नगर तथा विप्रार्थीगण संख्या 3 से 6 के खसरा संख्या 132/16 रकबा 25.9365 हैक्टेयर ग्राम त्रिशूलिया पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.06.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी